क्षेत्रीय कार्यालय
उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
65 ए, बल्देव पुरी, महोली रोड
मथुरा

पत्रांकः 230 / ओ-50/2020 दिनांकः 23/06/2020

सेवा में,

मुख्य विधि अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः **मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–1035/2019 माधव दास बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आज दिनांक 23.06.2020 आपसे दूरभाष पर हुई वार्ता के अनुक्रम में मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–1035/2019 माधव दास बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी मथुरा के पत्रांक 168/ओ0एस0डी0/2019 दिनांक 21.12.2019 के अनुक्रम में दिनांक 03.01.2020 को डा0 नितिन गौड़, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी, छाता मथुरा एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या संलग्न है। अवगत कराना है कि उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0 43647/सी–4/सा0II –630/बन्दी आदेश/2019 दिनांक 12.11.2019 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुक्रम में दक्षिणांचल विधुत वितरण निगम लि0, कोसी कलॉ मथुरा ने अपने पत्रांक–17235/वि0वि0खण्ड–II/कोसी दिनां 06.12.2019 द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 05.12.2019 को उक्त उद्योग की विधुत आपूर्ति विच्छेदित कर दी गयी है(प्रति संलग्न)।

यहॉ आपको यह भी अवगत कराना है कि बोर्ड मुख्यालय के पत्राक एच46398/सी–4/सा0II –639/2020 दिनांक 15.01.2020 के द्वारा उक्त उद्योग का वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश दिनांक 13.11.2019 को कुछ कतिपय शर्तो के अनुपालन की वाध्यता के अधीन बन्दी आदेश सशर्त निक्षेप किया गया। उद्योग द्वारा सहमति (जल/वायु) ऑन लाईन आवेदन दिनांक 02.04.2020 को जमा किया गया। उक्त के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 29.05.2020 को उद्योग के निरीक्षण के दौरन पाया गया कि उद्योग द्वारा बोर्ड मुख्यालय में निहित शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है जिस कारण उद्योग के सहमति (जल/वायु) ऑन लाईन आवेदन दिनांक 02.04.2020 को इस इस कार्यालय द्वारा दिनांक 29.05.2020 को निरस्त कर दिया गया है। यह भी अवगत कराना है कि उक्त उद्योग को मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा द्वारा सील किया गया।

उपरोक्त सूचना आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

भवदीय

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

(अरविन्द कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
1. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

प्राप्त 17/01/2020 Email

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या : H46398 /सी–4/सा0–।।–639/2020 | दिनांक 15.1.2020

NOC-1250

सेवा में,

मै0 अग्ररारिया एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा0लि0,
खसरा सं0–286, नगरिया, गुहेता 10 विस, कोसी कला,
तहसील–छाता, जनद– मथुरा।

विषय : वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31 ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश दिनॉक– ~~2[illegible]~~ 13-11-19 को निक्षेपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

मै0 अग्ररारिया एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा0लि0, खसरा सं0–286, नगरिया, गुहेता 10 विस्त, कोसी कला, तहसील–छाता, जनद– मथुरा के विरुद्ध बोर्ड के पत्रांक एच–43647/सा–।।–639/बंदी आदेश/2019 दिनांक 13.11.19 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31 ए के अन्तर्गत पूर्व पारित बन्दी आदेश का संदर्भ लेने का कष्ट करें। इस संबंध में आप द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र दिनांक 27.11.2019 एवं क्षेत्रीय अधिकारी, मथुरा को सम्बोधित शपथ–पत्र पर उद्योग की जिला प्रशासन, मथुरा के साथ स्थलीय संयुक्त जांच दिनांक 03–01–2020 के उपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी, मथुरा के पत्रांक 1079/एन0ओ0सी0–1250/2020, दिनांक 09–01–2020 पर विचारोपरान्त सक्षम अधिकारी की अनुमति से उद्योग को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा–31 ए के अन्तर्गत पूर्व निर्गत बंदी आदेश दिनांक 13–11–19 को निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन की बाध्यता के अधीन सशर्त निक्षेप किया जाता है :–

1. उद्योग की उत्पादन प्रक्रिया से जनित डस्ट एवं गैसीय उत्सर्जन से आस–पास के पर्यावरण एवं आबादी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
2. उद्योग मुख्य कार्यशाला को पूर्णतया कवर्ड करे एवं सेन्ट्रल डक्टिंग सिस्टम उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व स्थापित करना सुनिश्चित करे।
3. उद्योग बैग फिल्टर से चिमनी इस प्रकार से स्थापित करें कि वह कवर्ड शेड से 3.0 मी0 ऊँची हो।
4. उद्योग के प्रक्रिया उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु प्रभावी रिसाइकिलिंग सिस्टम स्थापित करना सुनिश्चित करें।
5. उद्योग का संचालन बोर्ड से सहमति जल एवं वायु प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही किया जाये।
6. उद्योग में उत्पादन प्रक्रिया से उत्सर्जित प्रक्रिया उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था इस प्रकार संचालित किया जाये कि उत्सर्जित उत्सर्जन की मात्रा मानकों के अनुरूप रहे तथा आस–पास के जनमानस एवं पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
7. उद्योग के संचालन के उपरान्त स्थापित चिमनी एवं परिवेशीय वायु गुणता की नवीनतम अनुश्रवण आख्या मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से करवाकर बोर्ड में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
8. उद्योग में हरित पट्टिका का विकास सुनिश्चित किया जाये।
9. उद्योग द्वारा सहमति जल एवं सहमति वायु में निहित शर्तों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

उपरोक्त शर्तों के अनुपालन हेतु रू0 50,000/– (पचास हजार) मात्र की बैंक गारन्टी, जिसकी वैधता 01 वर्ष हो, संलग्न निर्धारित प्रोफार्मा पर वर्णित शर्तों का उल्लेख करते हुए 15 दिन के अन्दर बोर्ड में जमा करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(आर0के0 सिंह)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. जिलाधिकारी, मथुरा।
2. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0 (विद्युत वितरण खण्ड), मथुरा।
3. महाप्रबन्धक, जल संस्थान, मथुरा।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–4

351

ROPCB

D.M./COLLECTOR
MATHURA
15.01.20

टी.सी. 12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010
ई–मेल–info@uppcb.com
वेबसाइट–www.uppcb.com

TC. 12 Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010
e-mail: info@uppcb.com
Web Site: www.uppcb.com

6610   "राष्ट्र हित में बिजली बचायें, बल्ब की जगह एल0ई0डी0 लगायें"

X10C-1250

उ0प्र0 सरकार का उपक्रम

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
विद्युत वितरण खण्ड (द्वितीय) कोसीकलां
CIN:U31200UP2003SGC027460

Mob. No.:-919330326
E-mail:eddkosi@gmail.com

पत्रांक :   /वि0वि0खण्ड-।।/कोसी   दिनांक

विषय :- मै0 अगरारिया एग्रो प्रोडक्टस प्रा0लि0, खसरा सं0-286, नगरिया 10 विसा, कोसीकलां, मथुरा के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथा संशोधित की धारा 31ए के अन्तर्गत जारी बन्दी आदेश के अनुपालन में इकाई का विद्युत विच्छेदन किए जाने के सम्बन्ध में।

RO, PCV. MTR

(1578)

क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
65ए0, बल्देव पुरी, महोली रोड़,
मथुरा।

जिलाधिकारी
मथुरा
07 JAN 2020

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक 949/एन0ओ0सी0-1250/19 दिनांक 25.11.2019 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि इस कार्यालय में उपलब्ध भारत सरकार सूक्ष्म, लघु और माध्यम मंत्रालय के द्वारा मैसर्स अगरारिया एग्रो प्रोडक्ट प्रा0लि0 द्वारा कौटन से सम्बन्धित एवं वनस्पति एवं पशु तेल तथा फेट से सम्बन्धित उत्पादन करने हेतु उद्योग लगाने का लाइसेंस प्राप्त किया, इस लाइसेंस के अनुसार उक्त उपभोक्ता दोनो कार्य करने हेतु उद्योग की स्थापना किया है। आपके पत्रांक के अनुपालन में यदि मैसर्स अगरारिया एग्रो प्रोडक्ट प्रा0लि0 की विद्युत आपूर्ति विच्छेदित कर जाये तो उक्त दोनो उत्पादन बन्द हो जायेगा। जबकि वायु प्रदूषण केवल कपास के प्रयोग के कारण हो रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर से कौटन वाले प्लांट को शील कराकर बन्द कराने का कष्ट करें।

(इं0 एन0पी0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक : 17034   /वि0वि0खण्ड-।।/कोसी   दिनांक 02/12/19

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, मथुरा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4) उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(इं0 एन0पी0 सिंह)
अधिशासी अभियन्ता

67

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण/समयबद्ध

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट मथुरा

संख्या 168 /ओ0एस0डी0/2019 दिनांक 21 दिसम्बर, 2019

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मथुरा।

विषयः- मूल प्रार्थना पत्र सं0 1035/2019 माधव दास बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य।

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल प्रार्थना पत्र सं0 1035/2019 माधव दास बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 17.12.2019 का अवलोकन करें, जो जिला मथुरा में सूत मिल के संचालन से उत्पन्न वायु प्रदूषण विषयक है। उक्त प्रकरण में अग्रिम सुनवाई की तिथि 06.03.2020 नियत है।

तत्क्रम में उक्त पत्र की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण के महत्व एवं गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए मा0 एन0जी0टी0 के आदेश के अनुपालन में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, छांता के साथ संयुक्त जॉच कर नियमानुसार कार्यवाही करें तथा कृत कार्यवाही की आख्या दिनॉक 15.01.2020 तक अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें। उक्त प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 में निर्धारित तिथि से पूर्व आख्या दाखिल कराना सुनिश्चित करें। समयबद्वता का विशेष ध्यान रखा जाय, ताकि कोई प्रतिकूल आदेश पारित न होने पाये। इसमें किसी प्रकार का बिलम्ब/त्रुटि अपेक्षित नहीं है।

संलग्नकः- उपरोक्तानुसार।

(सर्वज्ञ राम मिश्र)
जिला मजिस्ट्रेट,
मथुरा

प्रतिलिपि-

1. अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) मथुरा को इस आशय से प्रेषित कि आप अपने स्तर से अनुश्रवण कर समयबद्ध ढंग से आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
2. ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, छाता को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिला मजिस्ट्रेट,
मथुरा

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका सं0–1035/2019 माधव दास बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य के सन्दर्भ में मैं0 अग्ररारिया एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0, खसरा सं0–286, नगरिया गुहेता 10विस्ता, कोसी कला, तहसील छाता जनपद मथुरा की निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त संदर्भित उद्योग का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 03.01.2020 को जिलाधिकारी महोदय, मथुरा के आदेश दिनांक 21.12.2019 के अनुक्रम में अधोहस्ताक्षरीकर्ताओं द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री माधव अग्रवाल (निदेशक) एवं श्री अमर सिंह, सुपरवाईजर उपस्थित थे। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है–

1. उपरोक्त वर्णित उद्योग खसरा सं0–286, नगरिया गुहेता 10विसा, कोसी कला, तहसील–छाता, जनपद–मथुरा में स्थापित एवं वर्ष 2018 से संचालित है। उद्योग का वर्तमान भू–प्रयोग धारा–80 राजस्व संकिता 2006 के अन्तर्गत अकृषक घोषित है।
2. उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में रॉ कपास का प्रयोग करके कपास से बीज निकालने का कार्य किया जाता है। कपास से बीज निकालने बाद शेष रूँई को टेक्सटाइल यूनिटों को बेच दिया जाता है जबकि कपास के बीज की पेराई करके उससे तेल निकालने का कार्य भी उद्योग द्वारा किया जाता है। उद्योग का मुख्य उत्पाद बीज रहित कापस (रूई) व तेल है जबकि कपास के बीज की खली सह उत्पादन के रूप में प्राप्त होता है।
3. उद्योग में जल का प्रयोग केवल घरेलू प्रयोजनार्थ किया जाता है उक्त के अतिरिक्त जल का प्रयोग अल्प मात्रा में स्प्रिकिलिंग हेतु किया जाता है।
4. कपास से बीज निकालने के दौरान प्रक्रिया उत्सर्जन से रूई के छोटे–छोटे रेशों के वायुमण्डल में उत्सर्जित होने की सम्भावना है, उद्योग में वायु प्रदूषण नियत्रण व्यवस्था के रूप में बैग फिल्टर व वाटर स्प्रिकिलिंग सिस्टम स्थापित है। उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में स्थापित बैग फिल्टर की किसी चिमनी से सम्बद्ध नहीं किया गया है, बैग फिल्टर्स से निकलने वाला उत्सर्जन सीधे वायु मण्डल में उत्सर्जित होता है।
5. निरीक्षण के दौरान उद्योग प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि दिनांक 30.10.19 को उद्योग में सार्क सर्किट के कारण आग लगने से केबिल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण स्प्रिकिलिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था, दिनांक 03.11.2019 को आगजनी में क्षतिग्रस्त केबिल/तार को ठीक करा लिया गया तथा वाटर स्प्रिंकिलिंग सिंस्टम को पुनः संचालित कर लिया गया, किन्तु उपरोक्त का सत्यापन विद्युत विच्छेदन होने के कारण किया न जा सका।
6. उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0–एच 43647/सी–4/ सा0II–630/बन्दी आदेश/2019 दिनांक 12.11.2019 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुक्रम में दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, कोसी कला, मथुरा ने अपने पत्रांक–17235/वि0वि0खण्ड– II/कोसी दिनांक 06.12.2019 द्वारा अवगत कराया है कि दिनांक 05.12.19 को उपरोक्त वर्णित उद्योग की विद्युत आपूर्ति विच्छेदित कर दी गयी है (प्रति संलग्न)।
7. निरीक्षण के दौरान उद्योग प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि उद्योग से होने वाले प्रक्रिया उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु ग्रीन नेट से ढकने की व्यवस्था की जा रही है, निरीक्षण के समय तक 3.0–3.0 मीटर चौडी नौ ग्रीन नेट से लगभग 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल (कार्यरत परिसर) को कवर्ड किया गया है। निरीक्षण के दौरान परिसर के अन्दर लिये गये फोटो का फोटोग्राफ संलग्न है।
8. निरीक्षण के दौरान उद्योग प्रतिनिधि को प्रक्रिया उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु समुचित व्यवस्था स्थापित करने जैसे–मुख्य शेड को कवर्ड करके सेन्ट्रल डक्टिंग सिस्टम स्थापित करने, बैग फिल्टर से निकलने वाले उत्सर्जन को समुचित ऊँचाई की चिमनी के माध्यम से वायु मण्डल में उत्सर्जित करने एवं परिसर के अन्दर समुचित मात्रा में वाटर स्प्रिकिलिंग सिस्टम स्थापित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उद्योग प्रतिनिधि को यह भी निर्देशित किया गया कि वर्तमान में उद्योग के बन्दी की स्थिति में परिसर के अन्दर व बाहर किसी सक्षम प्रयोगशाला द्वारा परिवेशीय वायु गुणता की जॉच करा लें, ताकि उद्योग के संचालन से परिवेशीय वायु गुंणता पर पड़ने वाले प्रभाव का ऑकलन किया जा सके।
9. उद्योग प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि उद्योग से ठीक सटे स्वयं की भूमि पर लगभग 1500 पौधों का वृक्षारोपण विगत वर्ष कराया गया कि ताकि उद्योग से होने वाले उत्सर्जन का प्रभाव आस–पास के वातावरण पर न पड़े।

उपरोक्त निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(अरविन्द कुमार)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मथुरा।

05.01.2020
(डा0 नितिन गौड)
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/उप जिलाधिकारी
छाता, जनपद–मथुरा।